न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी

पीठासीन अधिकारी

शिवांगी स्वर्णकार
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
50/प्रार्थना पत्र/18	14.03.2018	17.04.2018

उनवान

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,
तालेडा, जिला बून्दी (राज0)

प्रार्थी

: बनाम :

श्री भैरू आ0 अमरा जाति कराड़
निवासी ग्राम पराना, तहसील तालेडा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम,1970

उपस्थितः–1. प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक
2. अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

:: निर्णय ::

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम,1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी श्री भैरू आ. अमरा कराड को किये गये भूमि आवंटन ग्राम पराना की कृषि भूमि खसरा संख्या 528/230 रकबा 10.13 बीघा एवं खसरा सं. 530/230 रकबा 4.07 बीघा निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिये नोटिस तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना समक्ष न्यायालय हाजिर नहीं आने से दिनांक 16.4.18 को अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

जिला कलेक्टर, बून्दी

राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए व्यक्त किया कि ग्राम पराना में विस्थित आराजी खसरा संख्या 528/230 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा संख्या 530/230 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 15 बीघा का आवंटन परामर्श दात्री समिति, मुकाम डाबी द्वारा दिनांक 26.10.1977 को अप्रार्थी श्री भैरू आ. अमरा जाति कराड़ निवासी ग्राम पराना को आंवटन किया गया था। मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 01.8.2017 के अनुसार उक्त आंवटित भूमि पर मौके पर गैर खातेदार का कब्जा काश्त नहीं है तथा भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है, जिस पर कोट बाडा बना हुआ है। मुताबिक जानकारी ग्रामवासियान् गैर खातेदार द्वारा उक्त आराजी को जर्ये विक्रय इकरारपत्र दिनांक 07.4.1993 के श्री घीसुलाल आ. केशरीमल औझा निवासी पीपलुन्द, जिला भीलवाडा को विक्रय कर दिया है। इस प्रकार उक्त गैर खातेदार द्वारा भूमि बाबत आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है। तहसीलदार, तालेडा द्वारा आवंटन निरस्तीकरण प्रस्ताव मय नकल जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, नक्शा ट्रेस व मौका रिपोर्ट संलग्न कर उक्त भूमि आवंटन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। राजकीय अभिभाषक द्वारा दौराने बहस उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

हमने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस पर गहनता से मनन किया। आवंटी श्री भैरू आ. अमरा जाति कराड़ निवासी ग्राम पराना को दिनांक 26.10.1977 को ग्राम पराना की भूमि खसरा संख्या 528/230 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा संख्या 530/230 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 15 बीघा का आवंटन परामर्शदात्री समिति, मुकाम डाबी द्वारा आवंटन किया जाना प्रकट है। हस्तगत प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थी आवंटी को नोटिस जारी कर तलब किया गया किन्तु आवंटी बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आया, ऐसी स्थिति में प्रकरण में आवंटी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि आवंटन संबंधी जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 01.8.2017 के अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। मौका रिपोर्ट ग्रामवासियान की उपस्थित में तैयार की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय इकरारपत्र की फोटोकापी के अवलोकन से जाहिर है कि आवंटी श्री भैरू आ. अमरा जाति कराड द्वारा दिनांक 7.4.93 को उक्त आवंटित भूमि को श्री घीसुलाल आ. केशरीमल औझा निवासी पीपलुन्द, जिला भीलवाडा को इकरारपत्र लिखकर विक्रय कर दिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि

जिला कलक्टर, बून्दी

अप्रार्थी गैर खातेदार ने आवंटित भूमि को अन्तरण कर दिया है, जबकि गैरखातेदार को भूमि विक्रय करने के अधिकार नहीं है और न ही नियमान्तर्गत गैर खातेदार को भूमि के संबंध में इस तरह का इकरारपत्र लिखने का अधिकार है। मौका रिपोर्ट एवं इकरार पत्र की छायाप्रति के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन नियमों की शर्तो का उल्लंघन होना प्रमाणित है। ऐसे में आवंटी के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन का प्रयोजन सार्थक नहीं हुआ और न ही कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन का उद्देश्य पूर्ण हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी श्री भैरू आ. अमरा जाति कराड़ निवासी ग्राम पराना को किये गये आवंटन भूमि खसरा संख्या 528/230 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा संख्या 530/230 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 15 बीघा वाके ग्राम पराना, दिनांक 26.12.1977 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त विवादित भूमि को अविलम्ब कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 17.04.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर,बून्दी